



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला—अजमेर (राज.)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –103/2018

**पीठासीन अधिकारी:—श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

1. पारी पत्नि स्व.गोपाल रेगर  
सत्यमेव जयते 2. जयश्रीराज पुत्र स्व.गोपाल रेगर  
नाबालिग जय वली माता संरक्षक निवासी मेहरूखुर्द तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

**बनाम**

1. कल्याण पुत्र रामा
2. जेतू पुत्री रामा
3. छगना पुत्र देवी  
तमाम जाति रेगर निवासीगण मेहरूकंला तह. सावर जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

**राज. काश्त. अधिनियम संपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम  
निर्णय**

**दिनांक:—15.6.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मेहरूकंला में पेश हुई।  
वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है—

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत ग्राम मेहरूखुर्द के खाता स. 38 के खसरा नम्बर  
515,1329/515,1331/517,1336/517 कुल किता 4 कुल रकबा 0.55 है. दर्ज खातेदार है। चूकि प्रार्थी स. 1  
व 2 के पति व पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उसके विधिक वारीसान प्रार्थी स. 1 व 2 ही है। किसी अन्य  
दिगर व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण की नियत बद है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व  
खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने का आदेश अप्रार्थीगण को फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण के  
कब्जे काश्त की आराजीयात हेतु प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी आराजीयात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न  
नही करे। जिसके कारण वादी द्वारा उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया  
है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली केम्प कोर्ट मेहरूकंला में पेश हुई। वादी  
उपस्थित।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सावर द्वारा  
प्रस्तुत जवाब सरकार का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात  
होने से प्रार्थीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में  
होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके ग्राम मेहरूखुर्द के  
खाता स. 38 के खसरा नम्बर 515,1329/515,1331/517,1336/517 कुल किता 4 कुल रकबा 0.55 है.भूमि  
की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर  
निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका  
रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर  
से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में  
सुनाया गया।

उपखण्डअधिकारी  
केकड़ी